# मेरठ विकास प्राधिकरण

की

# तीसरी बोर्ड बैठक

दिनाँक 30-4-77

का

# कार्यवृत्त

दिनाँक 30-4-77 को जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के न्यायालय विश्राम कक्ष में अरान्ह 3-00 बजे बुलायी गयी बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :

| | |
|---|---|
| 1-श्रीआर०एस०माथुर | अध्यक्ष |
| 2- श्री राजीव रत्न शाह , सं० सचिव आवास एवं नगर विकास | सदस्य |
| 3- श्री हौ०प्र०वर्मा | उपाध्यक्ष |
| 4- श्री अ०न०अग्रवाल | सदस्य |
| 5- | आमन्त्रित पर्यवेक्षक |
| 6- | सदस्य |

2- पिछली बैठक दिनाँक 21-1-77 की कार्यवाही की प्रतियाँ समस्त सदस्यों को पहले भेजी जा चुकी थी, की पुष्टि की गयी ।

**3- धारा - 14/15 के अन्तर्गत की गयी अपीलें ।**

अ- श्रीमती ऊषा गर्ग व वे०के०गर्ग

ब- डा० वी०के०माहेश्वरी

स- डा० टी०पी०अग्रवाल

तय किया गया कि यह सभी अपीलें निर्णय हेतु अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जायें क्योंकि संशोधित अधिनियम में अध्यक्ष को ही ट्रिव्यूनल के अधिकार प्राप्त है ।

**4- धारा - 26/27 के अन्तर्गत की गयी अपीलें ।**

श्यामा बगैरह के मामले में तय किया गया कि इसे विचार हेतु अध्यक्ष महोदय को भेजा जाये ।

**5- श्री अब्दुल सलाम के कम्पाउन्डिंग शुल्क का मामला ।**

तय हुआ कि यह मामला भी निर्णय हेतु अध्यक्ष महोदय को भेजा जाये ।

**6- श्रीमती श्वेता कौर के प्रार्थना-पत्र पर विचार।**

तय हुआ कि यह मामला अध्यक्ष महोदय से विचार विमर्श करने के बाद अगली बैठक में रखा जाये।

**7- आवास विकास परिषद द्वारा भेजे गये कम्पाउन्डिग शुल्क के अनुमोदन पर विचार ।**

तय हुआ कि यह मामला आगामी बैठक में रखा जाये और उसकी वैधानिकता की छानबीन भी कर ली जाये।

**8- घंटाघर के सामने डा० अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना।**

तय हुआ कि यह मामला निर्णय हेतु अगली बैठक में रखा जाये।

**9- मेरठ विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों के साथ ली जाने वाली फीस का पुनः निर्धारण।**

संभागीय नियोजक द्वारा प्रस्तावित शुल्क पर विचार किया गया और यह निश्चय किया गया कि प्रस्तावित न्यूनतम शुल्क स्वीकार किया जाये लेकिन अन्य कार्यों में प्राधिकरण की अपेक्षा प्राधिकरण में ली जाने वाली फीस करीब एक चौथाई रखी जाये। शुल्क राउन्ड फिगर में रखी जाये ताकि हिसाब में आसानी रहे।

**10- इन्दिरा नगर के निवासियों के प्रार्थना-पत्र पर विचार।**

इन्दिरा नगर निवासयिों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर विचार किया गया जिसमें इस आबादी को नियमित करने का अनुरोध किया गया है और मेरठ महायोजना में इस खण्ड का भूउपयोग हरित पट्टिका के बजाय आवासीय क्षेत्र करने की माँग की गयी है।

प्रार्थना-पत्र पर विचार करने के बाद यह तय किया गया कि इस आबादी का पूरा नक्शा बनाकर प्रार्थीगण पेश करें जिसमें :

क- पूर्णतया बने मकान

ख- अंशतः बने मकान

ग- केवल चारदीवारी से घिरे क्षेत्र

घ- कच्चे मकान

ड- खाली जमीन

अलग-अलग रंगों से दिखाये गये हों तथा प्रस्तावित मार्ग व जल बहाब प्रणाली का भी संकेत लिया गया हो। उपरोक्त विवरण प्राप्त होने के बाद ही निवासियों के प्रार्थना पत्र पर पूरी तरह विचार करना व निर्णय लेना सम्भव होगा। यदि अगली बैठक के पहले ये नक्शे प्राप्त हो जाये तो मामले को आगामी बैठक में रखा जाये।

**11- नगरपालिका से आने वाले कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र पर विचार।**

यह तय हुआ कि यदि नगरपालिका के कर्मचारियों से पूरा काम लेने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो इस मामले को विचार हेतु अगली बैठक में रखा जाये अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को लेने की आवश्यकता नहीं है।

**12- मेरठ विकास प्राधिकरण का बर्ष 1977-78 का बजट।**

अ- उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत बजट पर विचार किया गया और यह तय किया गया कि 20 लाख के ऋण के समुचित उपयोग के लिये एक आवासीय और एक व्यापारिक योजना तैयार कराकर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये जिससे कि इस पैसे का उपयोग करके प्राधिकरण इतना पैसा अर्जित कर सके कि उस पर लगने वाले ब्याज व अन्य खर्चो का भुगतान करना सम्भव हो। इस धनराशि को बैंकों में जमा करना पर्याप्त नहीं है। शीघ्र भूमि अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाये जिससे विकास कार्य को आगे बढाया जा सके।

ब- मलिन बस्ती सुधार के लिये जो धनराशि प्रस्तावित है उसके बारे में यह तय हुआ कि जून, 1977 तक इसमें से तीन लाख रुपये तक के व्यय की स्वीकृति दी जाती हैं।

स- बजट मे अन्य प्रस्तावित खर्चो के बारे में यह तय किया गया कि जून,1977 तक का खर्चा जो कार्य के संचालन के लिये आवश्यक हो उसे उपाध्यक्ष कर सकते है लेकिन पूरे साल के खर्च की स्वीकृति उपरोक्त विकास

योजना के साथ विचार हेतु अगली बैठक में रखा जाये और इसकी कापी पहले से सदस्यों को भेज दी जाये ।

**13- मेरठ महायोजना का प्रमाणीकरण ।**

संभागीय ग्राम व नगर नियोजक ने मेरठ महायोजना की संशोधित प्रति हस्ताक्षर हेतु बैठक में प्रस्तुत किया जिस पर यह तय हुआ कि विगत बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार मेरठ महायोजना को ठीक करके पहले उसे मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को दिखा लिया जाये और उनके हस्ताक्षर हो जाने के बाद उसे सदस्यों के समक्ष हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाये ।

ह०/-
(हौ० प्र० वर्मा)
उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

ह०/-
(आर० एस० माथुर)
अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

कार्वाही की पुष्टि की गयी ।

ह०/-
अध्यक्ष
मे० वि० प्रा०